Court of A.D.J.-I, Danapur

Session Trial No – 1322/13

Reg – 926/15

31.08.2021

अभियुक्त बिरेन्द्र सिंह उर्फ बिरेन्द्र कुमार की ओर से आत्मसमर्पण– सह–जमानत आवेदन के साथ नवीन वकालतनामा दाखिल किया गया। जिसकी प्रति सहायक लोक अभियोजक को भी दिया गया है। अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण किये। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आवेदन को संचालित करते हुए कहते है कि प्रार्थी के गत कई तिथियों से अनुपस्थिति के कारण दिनांक 02.02.2019 को अभियुक्त का बंध–पत्र रद्द किया गया है। उनका यह भी कहना है कि प्रार्थी द्वारा जानबूझकर जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं किया गया है और प्रार्थी स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किये है। अतः निवेदन करते है कि प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का कथन है कि आवेदक का जमानत 02.02.2019 अनुपस्थिति कारण खंडित किया गया था, जबकि अभिलेख आरोप गठन हेतु निश्चित था। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर थे एवं इस वाद में कुछ अन्य अभियुक्त का जमानत इसी आधार पर हो चुका है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वाद दिनांक 02.02.2019 को आरोप के बिन्दू पर सुनवाई हेतु निर्धारित था। चुंकि प्रार्थी अभियुक्त स्वतः न्यायालय में आत्मसमर्पण किये है तथा प्रार्थी अभियुक्त का पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जमानत हो चुका था। अतः इन्हें मो0– 10000/– रूपये के समान राशि का दो प्रतिभ् का बंध–पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त इस वाद के आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेंगे।

लेखापित

अ0स0न्या–1

<u>बाद में</u>

31.08.2021

अभियुक्त बिरेन्द्र सिंह उर्फ बिरेन्द्र कुमार की ओर से बंध–पत्र के साथ अंडरटेकिंग दाखिल किया गया। जांचोपरान्त सही एवं संतोषजनक पाकर स्वीकृत.......... किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करें।

लेखापित

अ0स0न्या–1

This is certified that this is the true copy of the order passed by this Court

Addl. Sessions Judge-I, Danapur